

संतोष देवी - राजस्व डू. नं. 17/24

दिनांक

आज्ञा पत्र

4.9.24

पत्रवली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 10 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में रजिस्ट्रि की जाती है। निर्णय तुर इज्जतस चुनाव गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद त्तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

